1

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 26 / 2026 दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... वादी

बनाम्

1. भैरू पुत्र लालू जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादी

उपस्थित :– 01. पैरोकार सरकार।
02. एकपक्षीय – प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 05/05/2026

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया गया। प्रतिवादी ने भूदान भूमि आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर मलबा पड़ा हुआ हैं। उक्त आराजी का कृषि उपयोग नही हो रहा है भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर मलबा पड़ा होने से यह प्रतीत होता हैं कि भूदान आवंटी सद्भावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादी को ग्राम मोगरवासा की आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम दर्ज कराना फरमावें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी को नोटिस/ रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम मोगरवासा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श– 1 हैं, पटवारी प0ह0 कास्यां द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण रिपोर्ट जो प्रदर्श– 2 हैं, ग्राम मोगरवासा की जमाबन्दी नकल संवत् 2076–2079 पेश की जो प्रदर्श– 3 हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी – पटवारी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि दिनांक 07.01.2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार ग्राम मोगरवासा के आराजी नम्बर 352/6 रंकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर पहुंची। मेरे द्वारा उक्त आराजी का मौका पर्चा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त आराजी पर वर्तमान में खनन कार्य होकर मौके पर मलबा पड़ा हुआ हैं। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा। खातेदार सद्भावी कृषक नहीं हैं। उक्तानुसार प्रदर्श अंकित हैं। उक्त सभी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को भूदान यज्ञ वोर्ड के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 05/05/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 26 / 2026

दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... डिक्रीदार

बनाम

1. भैरू पुत्र लालू जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.... प्रतिवादी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 05 / 05 /2026

डिक्री दिनांक : 05/ 05 /2026

–: डिक्री :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादी एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 352/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को भूदान यज्ञ बोर्ड के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....
बाबत् .... Nil ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....
का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 05 वर्ष 2026 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां